राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4 (54) वित्त–1(1)आ.व्यय/2013/

जयपुर, दिनांक : 07-04-14

**संबधित कोषाधिकारी,**
**राजस्थान ।**

(स्वीकृति संख्या –02/2014–15)

**विषयः**–13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(13) ले.ब./परावि/ते.वि.आ./13–14/2080 दि. 07.04.14 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती क्रमांक 01/14–15) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तो के अनुसार राशि रू. **24,90,82,000/–** (अक्षरे राशि रू चौबीस करोड नब्बे लाख बियासी हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

**–:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–**

| | राशि रू. में |
|---|---|
| मांग सं. 41<br>2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>196 –जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता<br>(14)–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान<br>[02]–कार्यकलाप/गतिविधियां<br>12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)<br>**(आयोजना भिन्न)** संलग्न सारणी 'अ' के अनुसार | 4,98,16,000 |
| मांग सं. 41<br>2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता<br>(08)–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान<br>[01]–कार्यकलाप/गतिविधियां<br>12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)<br>**(आयोजना–भिन्न)** संलग्न सारणी 'ब' के अनुसार | 19,92,66,000 |
| **कुल योग** | **24,90,82,000** |

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृती का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा । आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(एम.एल. आचार्य)
उपशासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल)विभाग, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

उपशासन सचिव वित्त (बजट)

satish ji all letters 1